[illegible]

23/11/19 - वादी द्वारा गवाह पेश [illegible]

PW-2 धर्मेन्द्र का शपथ पत्र पेश किया

जो शामिल मिसल किया गया। गवाह प्रार्थी

[illegible] पर लगाये [illegible]

3/4 [illegible] शपथ पत्र

वकील वादी द्वारा और समय [illegible] पेश

बहस प्रारंभ किया गया। पत्रावली वास्ते बहस

दि० 15/1/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

दूदू

15/1/25 - वकील वादी उप०। [illegible]

बहस प्रारंभ किया। वकील वादी व

प्रति० वकील की बहस को सुना

पत्रावली का गहनता से अवलोकन

किया गया। बाद बहस सुनने व अवलोकन

पत्रावली वादी का वाद स्वीकार योग्य

पाया जाता है अतः वादी का वाद

स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है

[illegible]

[illegible] पत्रावली

[illegible] दाखिल दफ्तर [illegible]

उपखण्ड अधिकारी

दूदू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी— **श्री योगेश सिंह देयल, आर.ए.एस.**

जस्व वाद संख्या : 172 / 2024
जु दिनांक : 05 / 08 / 2024
र्णय दिनांक : 15/1/2025

तेन्द्र पुत्र रामकरण जाति धोबी निवासी दूदू जिला दूदू राज0 ——वादी

बनाम

हसीलदार तहसील दूदू जिला दूदू राज0 ——प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थिति — *श्री नानूराम धाभाई*
श्री अमरचन्द प्रजापत
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित।

—: निर्णय :—

निर्णय दिनांक 15/1/2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद—पत्र बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि जमाबंदी संवत 2071—2074 के आराजी खाता संख्या 535 के आराजी खसरा नम्बर 1413 रकबा 0.3400 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 526 रकबा 0.9800 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 687 रकबा 0.5800 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 688 रकबा 0.0800 हैक्टैयर कुल किता 04 कुल रकबा 1.9800 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम दूदू तहसील दूदू जिला दूदू में स्थित है जिसके साबिक खसरा नम्बर 2117, 2122, 2123, 2156, 2157, 2413 रहे है, जिसमें वादी का 1 / 11 हिस्सा दर्ज है उपरोक्त हिस्से अनुसार वादी काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार है तथा लगान सरकारी अदा करता आ रहा है। वादी का सिजरा खानदान निम्न प्रकार से है। उपरोक्त सिजरे अनुसार वादी स्वर्गीय रामकरण का पुत्र है एवं उपरोक्त आराजीयात पूर्व में स्वर्गीय रामकरण की रही है उनके स्वर्गवास के पश्चात उक्त आराजीयात जरिये विरासत नामांतकरण संख्या 2384 के द्वारा वादी एवं रामकरण के अन्य वारिसान को बहिस्सा बराबर बराबर प्राप्त हुई है। उक्त आराजीयात में वरवक्त नामांतकरण वादी को घर पर प्रेम से बोले जाने वाले जाने नाम बाबू नाम से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बाबू पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
दूदू